

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 7957206/2017/ई/चार,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2017

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय:- बिल ट्रांजिट बुक (बी.टी.बी.) का उपयोग समाप्त करने बावत्।

संदर्भ:- वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 2406/2003/ई/चार, दिनांक 29 सितम्बर,
2003


-----0-----

संदर्भित परिपत्र द्वारा एकीकृत कम्प्यूटराईजेशन परियोजना के अंतर्गत कोषालयों में बिल ट्रांजिट बुक के माध्यम से देयक प्रस्तुतीकरण, ऑन लाईन चैकों का निर्गमन तथा कोषालय में लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे।

2/ कोषालयीन सॉफ्टवेयर सी.एस.एफ.एम.एस./आई.एफ.एम.आई.एस.के अंतर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अपने कार्यालय से स्वान/वी.पी.एन.स्लिम के माध्यम से ऑन लाईन देयक कोषालय के सॉफ्टवेयर में प्रस्तुत करने की व्यवस्था प्रदेशभर में लागू कर दी गई है। नवीन व्यवस्था लागू करने के फलस्वरूप बी.टी.बी.के माध्यम से देयक कोषालय में प्रस्तुत करने की व्यवस्था पूर्णतः समाप्त हो गई है। जिस कारण से बी.टी.बी. बुकों का उपयोग अब नहीं रहा है।

3/ अतः राज्य शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है कि मध्यप्रदेश के कोषालयों में बिल प्रस्तुत करने के लिये बिल ट्रांजिट बुक (बी.टी.बी.) का उपयोग किया जाना समाप्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,


(अनिच्छ मुकजी)
सचिव


मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

-2-

क्रमांक 796/206/2017/ई/चार,
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2017

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
 2. विशेष सहायक, माननीय वित्त मंत्रीजी,
 3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के निज सचिव,
 4. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के निज सहायक,
 5. आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल,
 6. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश,
 7. गार्ड फाईल,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



(विजय कठाने)

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग